भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गत बैठक में लिए गए निर्णयानुसार, संस्थान के कार्य में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग तिथियों पर अलग-अलग विषयों के साथ हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

पहली हिन्दी कार्यशाला का आयोजन “राजभाषा अधिनियम व नियम का अनुपालन” विषय के साथ दिनांक 21 फरवरी, 2023 [मंगलवार] को संस्थान के उत्तरी परिसर के हॉल-ए में दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक किया गया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के हिन्दी प्रकोष्ठ में कार्यरत करिन्द्र अधीक्षक (राजभाषा) श्री नितिन सिंह तोमर ने अपने वक्तव्य से कार्यशाला का आरंभ किया। उन्होंने अपने व्याख्यान में राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम,
1976 पर बहुत सारगर्भित व्याख्यान दिया। उन्होंने संविधान में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए किए गए प्रावधानों के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले 14 प्रकार के दस्तावेजों को सही रूप में द्विभाषी जारी करने की जानकारी दी। उन्होंने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापनों का उल्लेख किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पत्र का अभिप्राय ही समझ में नहीं आता और उसका आशय देखने के लिए अंग्रेज़ी संस्करण का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए, धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजात एवं राजभाषा नियम, 1976 के अंतर्गत जारी किए जाने वाले पत्र अंग्रेज़ी में जारी किए जाते हैं और उसके बाद आवश्यकतानुसार उनका हिंदी अनुवाद तैयार किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पत्र का अभिप्राय ही समझ में नहीं आता और उसका आशय देखने के लिए हिंदी संस्करण का सहारा लेना पड़ता है।

दूसरी हिंदी कार्यालय का आयोजन “हिंदी टाइपिंग” विषय पर दिनांक 3 मार्च, 2023 [शुक्रवार] को भा.प्रौ.सं. मंडी के उत्तरी परिसर की कंप्यूटर लैब में पूर्वें 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक किया गया। कार्यालय आरंभ करने हेतु कनिष्ठ अधीक्षक (राजभाषा), श्री नितिन सिंह तोमर ने भा.प्रौ.सं. मंडी के हिंदी प्रकोष्ठ-प्रभारी डॉ. सौम्य
मालवीय जी का हार्दिक अभिनंदन किया तथा कार्यशाला हेतु उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया।

हिंदी प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉ. सौम्य मालवीय जी के वक्तव्य द्वारा कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। उन्होंने सभी का अभिनंदन करते हुए संस्थान में हिंदी के प्रचार-प्रसार पर ज़ोर दिया तथा राजभाषा के महत्व पर बल देते हुए हिंदी कार्यशालाओं की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला।

आगे, कृष्ण अधीक्षक (राजभाषा) द्वारा कार्यशाला का संचालन किया गया। उन्होंने अपनी प्रस्तुति से सभी को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही, भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अपनाए जाने वाले हिंदी टाइपिंग टूलों की जानकारी दी और पुरानी विधियों से टाइपिंग न करके आजकल प्रचलित नवीन टूलों (इनस्प्रिट कीबोर्ड और इंडिक माइक्रोसॉफ्ट टूल, फोनेटिक्स, वॉइस कमांड टाइपिंग)
आदि का प्रयोग करके टाइपिंग करने पर बल दिया। अंत में, धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला सम्पन्न हुई।

तीसरी हिंदी कार्यशाला का आयोजन "हिंदी तिमाही/अर्थवार्षिक प्रगति रिपोर्ट" विषय पर दिनांक 22 मार्च, 2023 [बुधवार] को संस्थान के उत्तरी परिसर के हॉल-बी में दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक किया गया। कनिष्ठ अधीक्षक (राजभाषा), श्री नितिन सिंह तोमर ने भा.प्रौ.सं. मंडी में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य, डॉ. अतुल धर, सह-प्राध्यापक, एसएमएमई का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, उन्हें कार्यशाला का शुभारंभ करने हेतु अनुरोध किया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य महोदय जी ने कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत व अभिनंदन करते हुए संस्थान में हिंदी के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया तथा राजभाषा के महत्व पर बल देते हुए हिंदी कार्यशालाओं की अनिवार्यता पर
प्रकाश डािा। उन्होंने कहा कि आजकल हिंदी में सरलता से कार्य करने की नवीन विधियों की जानकारी संस्थान के कार्मिकों को होनी अनिवार्य है। यदि हम वर्तमान में किसी कार्यालयीन दस्तावेज़ पर 5 से 10 प्रतिशत कार्य भी हिंदी में करते हैं तो उसे भी द्विभाषी माना जाता है। भविष्य में हो सकता है कि स्थिति ऐसी न रहे। उन्होंने हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए संस्थान की वेबसाइट का कार्य देख रहे विंग स्टाफ से भी सहयोग लेने के लिए कहा। उन्होंने पूर्व में आयोजित कार्यशालाओं से भी लाभान्वित होने के लिए प्रेरित किया। डॉ. अतुल धर जी ने यह भी सुझाव दिया कि सामान्य टिप्पणियों की जानकारी अधिकारियों को होनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा इस संबंध में सभी अनुभागों को ई-मेल भेजने का भी सुझाव दिया।

आगे, करिन्त्रा अधीक्षक (राजभाषा) ने कार्यशाला का संचालन करते हुए अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अपनाए
जाने वाले हिंदी तिमाही/छमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रारूपों को सिलसिलेवार तरीके से समझाते हुए मददवार विस्तृत चर्चा भी की तथा अपनी उल्कृष्ठ प्रस्तुति से सभी को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही, उन्होंने कहा कि हमारे संस्थान का लोगों, कर्मचारियों के पहचान पत्र भी द्विभाषी होने चाहिए। इसके अनुमोदन के लिए अभिशासक मण्डल को प्रस्ताव भेजने पर भी चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, संस्थान में हिंदी के प्रसार को बढ़ाने के लिए प्रतिभागियों ने अपने सुझाव दिए।

कमिश्न अधीक्षक (राजभाषा) ने कार्यशाला में भाग लेने के लिए सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद किया और धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का समापन किया। अलग-अलग लिखित पर आयोजित की गई ये तीनों हिंदी कार्यशालाएँ सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही उपयोगी एवं उद्देश्यपूर्ण रहीं। उपयुक्त कार्यशालाओं के अंत में जलपान की भी व्यवस्था की गई थी।